संख्या-229/2018/3852/26-3-2018-50(एस.एन.डी.)03

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 22 नवम्बर 2018

विषय:- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं साइकिल अनुदान योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-214/ज.जा.वि./ 2018-19, दिनांक 28 सितम्बर, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 में **''अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं साइकिल अनुदान''** योजना के अंतर्गत किये गये आय-व्ययक प्राविधान रूपया-80.00 लाख के सापेक्ष अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि **रूपया-40.00 (रूपये चालीस लाख मात्र)** की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उक्त योजना के अंतर्गत यूनीफार्म एवं लेडीज बाइसिकिल की स्वीकृति शासनादेश सं0-यू.ओ.-337/26-ब0प्र0-2004-50(एस.एन.डी.)/2003, दि0-30-6-2004 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-660/26-ब.प्र./2009-50 (एस.एन.डी.)/08, दिनांक-27.11.2009 एवं शासनादेश संख्या-864/26-3-2014-50(एस.एन.डी.)/2003 दिनांक-09.10.2014 में वर्णित व्यवस्थानुसार शिक्षा सत्र 2018- 2019 की छात्राओं के लिए किया जायेगा। जिन छात्राओं को शिक्षा विभाग द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो जायेगा, उन्हें इस योजना से पुनः लाभान्वित नहीं किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय यूनीफार्म एवं साईकिल अनुदान हेतु निर्गत दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इससे पूर्व, पूर्व में स्वीकृत कोई भी धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष धनराशि जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत धनराशि का सम्पूर्ण उपयोग कर लिया गया है तथा व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4) गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी/स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की वित्तीय एवं प्राप्त भौतिक लक्ष्यों की सूचना के साथ उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात ही अवशेष अवधि की स्वीकृत का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की तत्काल व्यय किये जाने की आवश्यकता हो। अधिक धनराशि का आहरण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा और पी0एल0ए0, बैंक, डाकखानों आदि खातो में नहीं रखी जायेगी।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-12-अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं साईकिल अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/ 2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30.03.2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-229/2018/3852(1)/26-3-2018-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
3. राज्य योजना आयोग 1/2/बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
4. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-4, वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. गार्डफाइल।

आज्ञा से

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।